



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 28 अगस्त, 1975

भाद्रपद 6, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3519 सत्रह-वि-1-95-75

लखनऊ, 28 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विधायिका

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 26 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वृहत् उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छव्वीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा
विस्तार

1--- (1) यह अधिनियम आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1955 का अधि-
नियम संख्या 10
की धारा 3 का
संशोधन।

2--- उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की धारा संशोधित उप-धारा (2) में आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथाप्रतिस्थापित खण्ड (च) के स्वर्गीकरण में, उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय और संदेव में रखा गया समझा जाय, अर्थात्:—

“(2) उस विशिष्ट खालास के, जिसके सम्बन्ध में आदेश हो, उत्पादन के लिए खेतों के अधीन क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रत्येक उत्पादन द्वारा विक्रय किए जाने के लिए परिमाण नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किए जाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी और विभिन्न उत्पादकों द्वारा घृत अथवा उनकी खेती के अधीन कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसा परिमाण क्रमिक आधार पर नियत किया जा सकेगा अथवा नियत किए जाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी।”

3--- आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

THE ESSENTIAL COMMODITIES (UTTAR PRADESH SECOND AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 39 OF 1975)

[Authoritative English Text of the *Awashyak Vastu* (Uttar Pradesh Dwitiya Sanshodhan) *Adhiniyam*, 1975].

AN

ACT

further to amend the *Essential Commodities Act, 1955*, in its application to *Uttar Pradesh*

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the *Essential Commodities (Uttar Pradesh Second Amendment) Act, 1975*.

Short title and extent.

(2) It extends to the whole of *Uttar Pradesh*.

2. In section 3 of the *Essential Commodities Act, 1955*, as amended in its application to *Uttar Pradesh*, in sub-section (2), in clause (f), as substituted by the *Essential Commodities (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1975*, in the Explanation thereof, for sub-clause (II), the following sub-clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—

Amendment of section 3 of Act X of 1955.

“(II) may fix or provide for the fixation of the quantity to be sold by a producer with reference to the area under cultivation for production of the particular foodgrains to which the order relates, and also fix or provide for the fixation of such quantities on a graded basis having regard to the aggregate area held by or under the cultivation of different producers.”

3. The *Essential Commodities (Uttar Pradesh Second Amendment) Ordinance, 1975* is hereby repealed.

Repeal.

(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 30, 1975).

(Passed in Hindi by the *Uttar Pradesh Legislative Council* on July 29, 1975 and by the *Uttar Pradesh Legislative Assembly* on August 1, 1975).

(Received the Assent of the President on August 26, 1975 under Article 201, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 28, 1975).

U. P. Ordinance no. 17 of 1975.